राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33/रेडियो/एम 85/2021/ 135 दिनांकः 12/4/2021

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःएफ.।। (7) एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 में उल्लेखित प्रावधानो के तहत निम्नलिखित रेडियोग्राफर को 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर निम्न प्रकार ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद मय पदस्थापन स्थान	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति दिनांक	पै बैण्ड	ग्रेड–पे
1.	श्री बनवारी लाल वर्मा रेडियोग्राफर सीएचसी बिसाउ, झुन्झुनूं	25.2.1999	9 वर्ष	25.2.2008	5200–20200	2800

कर्मचारी का वेतन नियतन संबधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

//
(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33/रेडियो/एम 85/2021/ 135 दिनांक : 12/4/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में कर्मचारियों के चयनित वेतनमान/एसीपी के प्रस्ताव समय पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिसाउ, झुन्झुनूं।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को अपलोड वास्ते।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर